

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बड़जलास - श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 115/2016

अपीलान्त
नोरतराम पुत्र बिरदाराम जाति जाट
निवासी सनेडिया उप तहसील भैरुन्दा
तहसील रियाबडी जिला नागौर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

उप तहसीलदार, भैरुन्दा तहसील रियाबडी।

उपस्थिति :-

1. श्री बाबूलाल भादू अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 08.03.18

{1}-मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्त ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार, भैरुन्दा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 11/2016 सरकार बनाम नोरतराम में निर्णय दिनांक 30.06.16 के तहत मौजा सनेडिया के खसरा नं. 90/2 गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली एवं शास्ति के आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 26.07.16 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्त की अपील दिनांक 27.07.16 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}-उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांत ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि -

{2}(I)-निर्णय जैर अपील खिलाफ गलत, विधि विरुद्ध व मौके की स्थिति के विपरीत पारित किया होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)-अपीलार्थी के विरुद्ध पश्चातवृत्ति अतिक्रमी होने का आरोप लगाया गया है। जबकि अपीलांत को कभी भी अधीनस्थ न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय द्वारा पूर्व में मुकदमा दर्ज कर अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश पारित नहीं किया गया है। न ही इस तरह के आदेश पारित होने का कोई साक्ष्य सबूत ही पत्रावली में पेश हुए है। अपीलांत को पूर्व में कभी भी अतिक्रमी घोषित कर बेदखली की कार्यवाही नहीं की है। केवल मात्र हल्का पटवारी द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एवं पडोसी खातेदार से मिलकर झूठे पश्चातवृत्ति अतिक्रमी होने का अंकन करवाया है। जबकि इस बाबत कोई साक्ष्य सबूत व निर्णय की प्रति नहीं है। न्यायिक दृष्टांतों व राजस्व मंडल अजमेर के निर्णयों के अनुसार जब तक किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने का मुकदमा दर्ज होकर पूर्व में बेदखली का निर्णय पारित किया हुआ होने व उसके संबंध में मु.नं. व उस पूर्व के प्रकरण के तथ्य का हवाला पश्चातवृत्ति अतिक्रमण के निर्णय में दिया जाना आवश्यक होता है तभी पश्चातवृत्ति अतिक्रमी माना जाता है। अन्यथा इस तरह से सिविल कारावास जैसे कठोर आदेश पारित किये जाने विधि सम्मत नहीं माना है। इसलिये अपीलांत पश्चातवृत्ति अतिक्रमी नहीं होने से सिविल कारावास से दण्डित करने का निर्णय विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है।

{2}(III)-अपीलांत को निर्णय एवं कब्जा रिपोर्ट हल्का पटवारी निम्बोला बिस्सा के द्वारा दिनांक 23.04.16 को बेदखल करना बताया गया है। तत्पश्चात हल्का पटवारी द्वारा ही दिनांक 30.05.16 को अपीलांत को रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण बताया है। ऐसी स्थिति में दोनो ही अतिक्रमण की रिपोर्ट एक ही कृषि वर्ष 2073 में होना अंकित है। जिससे विधिक प्रावधानों अनुसार अतिक्रमी के विरुद्ध एक ही कृषि वर्ष में केवल मात्र एक ही बार कार्यवाही की जा सकती है। हस्तगत प्रकरण में दो महीने के भीतर भीतर दो बार



अपर कलक्टर, नागौर

91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। जो विधि विरुद्ध होने से भी निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(IV)—खसरा नं. 90 का अपीलांट खातेदार है तथा वर्तमान में जो सेटलमेंट किया जा रहा है। उस सेटलमेंट के दौरान अपीलांट के खातेदारी के खेत में से कटाणी रास्ता खसरा नं. 90/2 रकबा 17 बिस्वा सेटलमेंट अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अपीलांट को बिना सूचना दिये, बिना सुने बाले बाले अंकित कर नक्शा में तरमीम कर दिया, जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं दी, जबकि अपीलांट के उक्त खेत में आज दिन तीन-तीन रास्ते चल रहे हैं। क्योंकि अपीलांट के खेत खसरा नं. 90 के बंटवाडे हो रखा है तथा सभी चारों बंटों की सीमाओं के पास से रास्ते चलते हैं। जिस रास्ते पर अतिक्रमण करना बताया है। वह रास्ता आज दिन खुला है। इस रास्ता पर अपीलांट का किसी प्रकार से अतिक्रमण किया हुआ नहीं है। केवल नक्शा में तरमीम कर दिया है। मौके पर सही नाप चोप करके निश्चित स्थान पर रास्ता पुख्ता नहीं किया है। इस ओर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान दिये बिना निर्णय पारित किया होने से निरस्तनीय है।

{2}(V)—अधीनस्थ न्यायालय ने जिस तरह के तथ्य पत्रावली पर आये उस बाबत किसी प्रकार की जांच किये बिना ही व स्वयं के स्तर पर मौका निरीक्षण किये बिना, विस्तृत रूप से साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना सरसरी तोर पर जल्दबाजी में निर्णय जैर अपील पारित किया है। जो विधिक प्रक्रिया बिना जल्दबाजी में पारित किया गया होने से निरस्तनीय है।

{2}(VI)—अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को न तो पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिया न ही अन्य कोई साक्ष्य सबूत पेश करने का उचित अवसर प्रदान किया व अपीलांट को जवाब एवं साक्ष्य सबूत का अवसर भी नहीं दिया है। केवल मात्र दिनांक 01.06.16 को पत्रावली कायम कर दिनांक 30.06.16 को निर्णय पारित कर दिया है। जिससे स्पष्टतया प्रतीत होता है कि केवल मात्र पटवारी द्वारा अपीलांट को सिविल कारावास भुगताने हेतु ही मिथ्या रिपोर्ट करके जवाबदेही से वंचित रख कर निर्णय पारित करवाया गया है। जिससे भी निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है।

{2}(VII)—अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय किसी भी सूरत में विधिक निर्णय की तारीफ में नहीं आता है और बिना किसी अर्जेन्सी के आनन फानन में इस तरह के छपे छपाये फार्म कर निर्णय करने की कोई आवश्यकता न होते हुए भी आदेश जैर अपील पारित किया है। जो प्रथम दृष्टया विधि विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(VIII)—कब्जा मौके की स्थिति अनुसार केवल मात्र उसकी खातेदारीसुदा भूमि पर ही है। जिसके संबंध में अपीलांट सहित मौजीज लोगो की उपस्थिति में निष्पक्ष पटवारी से जांच व नाप चोप रिपोर्ट मंगवाई जा सकती है। जिससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी व अपीलांट का किसी भी रास्ते की भूमि पर कोई कब्जा दखल होना नहीं आयेगा। इन सभी हालात में अपीलांट के विरुद्ध इकतरफा में उसकी पीठ पीछे पारित करवाया गया निर्णय निरस्तनीय है।

{2}(IX)—वकील अपीलांट द्वारा यह भी कथन किया गया कि पूर्ववर्ती बेदखली आदेश व शास्ति की पुष्टि करवाये बिना ही पश्चातवृत्ति अतिक्रमण गलत रूप से माना गया है। जिससे सिविल कारावास से संबंधित आदेश निरस्तनीय है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2003 (1) पेज 306 से 309, आरआरटी 2003 (1) पेज 599 से 301, आरआरटी 2001 (2) पेज 1163 से 1166, आरआरडी 1999 पेज 623 से 624 तथा आरआरडी 1996 पेज 480 से 481 नजीरे प्रस्तुत की है।

{3}—राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा सनेडिया में स्थित गै. मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। इससे पहले प्रकरण में भौतिक बेदखली कार्यवाही दिनांक 23.04.16 को हुई है। जिसको पटवारी के बयानों में साबित भी करवाया गया है। इस प्रकार अतिक्रमण की पुनरावृत्ति होने पर ही सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित किया गया है। जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}—उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके सनेडिया के खसरा नंबर 90/2 गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया है तथा आराजी भूमि राजकीय भूमि होना रेकर्ड से साबित है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। इससे पहले प्रकरण में भौतिक बेदखली कार्यवाही दिनांक 23.04.16 को



अपर कलेक्टर, नागौर

होना व उसे पटवारी के बयानों में साबित भी करवाया गया है। अपील के विचाराधीन रहते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र सं. 39/2016 नोरतराम बनाम सरकार में मौके पर अपीलांट का अतिक्रमण है अथवा नही की जांच करवायी गयी। जो उप तहसीलदार भैरुन्दा के पत्र क्रमांक 234 दिनांक 05.06.17 के अनुसार अपीलांट का आराजी भूमि पर वर्तमान में भी अतिक्रमण होना पाया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}- उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}-निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अशोक कुमार)
अपर कलेक्टर,
नागौर